

उत्तर प्रदेश सरकार

पशुधन विभाग

अनुभाग-1

अधिसूचना

6 जुलाई 1991 ई0

सं0 2956/12-घ-1-91-भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम 1984 की धारा 65 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बातते हैं :-

उत्तर प्रदेश राज्य पशुचिकित्सा परिषद नियमावली

1990

अध्याय-एक

प्रारम्भिक

1-संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश राज्य पशुचिकित्सा परिषद नियमावली 1990 कही जायेगी।

(2) यह सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक के प्रवृत्त होगी।

2- परिभाषाएं-(1) जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में,

(क)“अधिनियम” का तात्पर्य भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम 1984(अधिनियम संख्या 52 सन् 1984)से है।

(ख)“निर्वाचन या पुनः निर्वाचन” का तात्पर्य राज्य पशुचिकित्सा परिषद में निर्वाचन या पुनः निर्वाचन से है।

(ग)“प्रपत्र” का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न पत्र से है।

(घ)“नाम निर्देशन या पुनः नाम-निर्देशन का तात्पर्य राज्य पशुचिकित्सा परिषद में नाम-निर्देशन या पुनः नाम निर्देशन से है,

(ङ)“रजिस्ट्रार” का तात्पर्य राज्य पशुचिकित्सा परिषद के रजिस्ट्रार से है।

(च)“राज्य सरकार” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है,

(छ)“धारा” का तात्पर्य अधिनियम की किसी धारा से है,

(ज)“अधिकरण” का तात्पर्य अधिनियम की धारा 45 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकरण से है,

(झ) इस नियमावली में प्रयुक्त बिन्दु पृथक् से अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ जो अधिनियम में उनके लिए दिए गये हैं।

राज्य पशुचिकित्सा परिषद में सदस्यों का निर्वाचन

(धारा 37)

3-निर्वाचन की सूचना-धारा 32 की उपधारा(1) के खण्ड (क) के अधीन राज्य पशुचिकित्सा परिषद के सदस्यों का निर्वाचन करने के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार निर्वाचन के प्रस्तावित दिनांक के संबंध में राज्य पशुचिकित्सा रजिस्ट्रार में रजिस्ट्रीकृत समस्त पशुचिकित्सा व्यवसायियों की सूचना के लिए स्थानीय समाचना पत्रों में सूचना प्रकाशित करेगी।

4- निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना-नियम 3 के अधीन सूचना के प्रकाशन के पश्चात यथाशाक्य शीघ्र रजिस्ट्रार निर्वाचक नामावली तैयार करेगा जिसमें पशुचिकित्सा रजिस्ट्रार में रजिस्ट्रीकृत समस्त पशुचिकित्सा व्यवसायियों का नाम और पता उल्लिखित किया जायेगा।

5- निर्वाचन नामावली का प्रकाशन-रजिस्ट्रार नियम 4 के अधीन तैयार की गयी निर्वाचक नामावली को प्रकाशित करेगा और राज्य पशुचिकित्सा परिषद के कार्यालय

में उसकी एक प्रति प्रदर्शित कर निरीक्षण के लिए उपलब्ध करायेगा।

6-दावे और आपत्तियां-निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किये जाने का प्रत्येक दावा और उसमें की सभी किसी प्रविष्टि पर प्रस्येग आपत्ति नियम 5 के अधीन निर्वाचक नामावली के प्रकाशन के दिनांक से तीस दिन के भीतर कमशः एक और दो में की जाएगी।

7- दावा और आपत्ति के प्रपत्र और उनके निस्तारण की रीति-(1) प्रपत्र एक में प्रत्येक दावे पर रजिस्ट्रीकृत पशु चिकित्सा व्यवसायियों द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा।

(2) प्रपत्र दो में प्रत्येक आपत्ति से रजिस्ट्रीकृत पशुचिकित्सा व्यवसायियों द्वारा प्रस्तुत की जायेगी जिनका नाम निर्वाचक नामावली में पहले ही सम्मिलित कर दिया गया है और उस पर ऐसे किन्हीं अन्य रजिस्ट्रीकृत पशुचिकित्सा व्यवसायी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा जिसका नाम भी नामावली में सम्मिलित किया गया हो।

(3) दावों और आपत्तियों पर रजिस्ट्रार द्वारा विचार किया जायेगा जो किसी दावे की अनुमति दे सकता है या अस्वीकार करने के कारणों को अभिलिखित करते हुए उसे अस्वीकार कर सकता है।

(4) किसी दावे या आपत्ति की अनुमति देने या अस्वीकार करने के संबंध में रजिस्ट्रार का विनिश्चय अन्तिम होगा।

8-नामावली का अन्तिम प्रकाशन-(1) रजिस्ट्रार ऐसे संशोधनों यदि कोई हो के पश्चात जिन्हें वह आवश्यक समझे अन्तिम निर्वाचक नामावली प्रकाशित करेगा।

(2) उपनियम(1) के अधीन प्रकाशित अन्तिम निर्वाचक नामावली की एक प्रति राज्य सरकार का भेजी जायेगी।

9-रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारी-(1) राज्य सरकार, नियम 8 के उपनियम (1) के अधीन प्रकाशित निर्वाचक नामावली की एक प्रति प्राप्त करने के पश्चात एक रिटर्निंग अधिकारी पदानिहित या नाम निर्दिष्ट करेगा जो राज्य सरकार का कोई अधिकारी होगा।

(2) राज्य सरकार एक या अधिक व्यक्तियों को भी नियुक्ति कर सकती है जो सहायक रिटर्निंग अधिकारी के रूप में रिटर्निंग अधिकारी को उसके कृत्यों के सम्पादन में सहायता करेंगे और जो राज्य सरकार के अधिकारी होंगे।

(3) प्रत्येक सहायक रिटर्निंग अधिकारी रिटर्निंग अधिकारी नियंत्रण के अधीन रहते हुए रिटर्निंग अधिकारी के समस्त या किन्हीं कृत्यों का सम्पादन करने के लिए सक्षम होंगे :

परन्तु कोई सहायक रिटर्निंग अधिकारी रिटर्निंग अधिकारी के ऐसे किन्हीं कृत्यों का सम्पादन नहीं करेगा जो मतपत्रों को देपे मतपत्रों को गिनते या निर्वाचन के परिणाम की घोषणा से संबंधित हो।

10- नाम निर्देशन नामांकन आदि के लिक दिनांक का निर्धारण-(1) रिटर्निंग अधिकारी सरकारी गजट में या किसी स्थानीय समाचार पत्र में या ऐसी रीति से जैसी वह उचित समझे, प्रकाशित अधिसूचना द्वारा-

(एक) नाम निर्देशन के लिए दिनांक निर्धारित करेगा जो अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक का सातवां दिन या यदि उस दिन सार्वजनिक छुट्टी हो तो अगला कार्य दिवस होगा।

(दो) अभ्यर्थिता वापस लेने का दिनांक निर्धारित करेगा जो नाम निर्देशन की संवीक्षा के दिनांक का दूसरा दिन होगा या यदि उस दिन सार्वजनिक छुट्टी हो तो अगला कार्य दिवस होगा।

(तीन) मतदान का यदि आवश्यक हो, दिनांक निर्धारित करेगा जो अभ्यर्थिता वापस लेने के दिनांक से तीन दिन की समाप्ति के पूर्व न होगा।

(चार) मतों की गणना करने के लिए और परिणाम की घोषणा करने के लिए जो मतदान के दिनांक से तीन दिन के भीतर होगी, दिनांक समय और स्थान निर्धारित करेगा।

10-(2) उपनियम (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना में राज्य परिषद में निर्वाचन के लिए अभ्यर्थियों

का स्थान विनिर्दिष्ट होगा जहां नाम निर्देशन पत्र परिदत्त किये जायेंगे।

11-विधिमान्य नामनिर्देशन के लिए अपेक्षायें और उनका प्रस्तुतीकरण—(1) नियम 10 के अधीन नाम निर्देशन के लिए निर्धारित दिनांक को या उसके पूर्व प्रत्येक अभ्यर्थी रसीदी रजिस्ट्रीकृत डाक सहित एक रजिस्ट्रीकृत पत्र प्रपत्र तीन में सम्यक् रूप से भरा हुआ नाम निर्देशन पत्र रिटर्निंग अधिकारी को भेजना या स्वयं उसे देगा।

(2)—प्रत्येक नामनिर्देशन पत्र पर दो मतदाताओं द्वारा एक प्रस्तावक के रूप में और दूसरा समर्थक के रूप में हस्ताक्षर किया जायेगा और अभ्यर्थी द्वारा अनुमति दी जायेगी :

परन्तु कोई मतदाता प्रस्तावक या समर्थक के रूप में भरी जाने वाली सीटों की संख्या से अधिक नामनिर्देशन पत्रों पर हस्ताक्षर नहीं करेगा।

परन्तु यह और कि यदि कोई मतदाता भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से अधिक संख्या में, यथास्थिति प्रस्तावक या समर्थक के रूप में नाम निर्देशन पत्रों पर हस्ताक्षर करता है तो रिटर्निंग अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या के बराबर प्रथम प्राप्त नामनिर्देशन पत्र, यदि वे अन्यथा ठीक हैं, विधिमान्य समझे जायेंगे और ऐसे समस्त अन्य नामनिर्देशन पत्र, जो उसी मतदाता द्वारा हस्ताक्षरित और साथ-साथ प्राप्त किये गये हैं, अधिमान्य समझे जाएंगे।

12- नामनिर्देशन पत्र का अस्वीकार किया जाना— ऐसे किसी नामनिर्देशन पत्र की, जो रिटर्निंग अधिकारी द्वारा इस निमित्त निर्धारित नाम निर्देशन करने के दिनांक को या उसके पूर्व प्राप्त नहीं होगा, अस्वीकार कर दिया जायेगा।

13-नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा—(1) नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा के लिए रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नियम दिनांक और समय की अभ्यर्थी और प्रत्येक अभ्यर्थी का प्रस्तावक और समर्थक या अभ्यर्थियों द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत अन्य प्रतिनिधि रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित हो सकते हैं जो उन्हें समस्त अभ्यर्थियों के ऐसे नाम निर्देशन पत्रों की जो उसके द्वारा उपर्युक्तानुसार प्राप्त हुए हों, परीक्षण करने की अनुमति देगा।

(2) रिटर्निंग अधिकारी इस प्रकार प्राप्त नाम निर्देशन पत्रों का परीक्षण करेगा और किसी नाम निर्देशन पत्र की विधिमान्यता के संबंध में उत्पन्न होने वाले समस्त प्रश्नों की विनिश्चय करेगा और उस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

14-अभ्यर्थिता वापस लेना—(1) कोई अभ्यर्थी नियम 10 के उपनियम (1) के खण्ड (दो) के अधीन निर्धारित दिनांक को या उसके पूर्व रिटर्निंग अधिकारी को

अपने द्वारा हस्ताक्षरित और लिखित सूचना देकर अपनी अभ्यर्थिता वापस ले सकता है।

(2) ऐसे किसी अभ्यर्थी को जिसने अपनी अभ्यर्थिता वापस ले ली है, ऐसी वापसी को रद्द करने या उसी निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशन किये जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

15-निर्वाचन लाने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन—(1) ऐसी अवधि की समाप्ति के तुरन्त पश्चात् जिसके भीतर अभ्यर्थी नियम 14 के अधीन अपने नाम निर्देशन वापस ले सकते हैं, रिटर्निंग अधिकारी निर्वाचन लड़ने वाले ऐसे अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगा और प्रकाशित करेगा जिनके नामनिर्देशन विधिमान्य हैं और जिन्होंने उक्त अवधि के भीतर अपनी अभ्यर्थिता वापस नहीं ली है।

(2) उपनियम(1) के अधीन तैयार की गयी सूची में निर्वाचन लड़ने वाले ऐसे अभ्यर्थियों के नाम (वर्णमाला क्रम में) और पते होंगे व जैसा कि नाम निर्देशन में दिया गया है।

(3) उपनियम (1) के अधीन तैयार की गयी सूची को गजट में और उसका ऐसी शीति से जैसा रिटर्निंग अधिकारी उचित समझे, व्यापक प्रचार किया जाएगा।

16- मतदान —(1) यदि निर्वाचन के लिए सम्यक्-रूप से नाम निर्दिष्ट अभ्यर्थियों की संख्या निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों की संख्या से अधिक हो तो रिटर्निंग अधिकारी तुरन्त ऐसे अभ्यर्थियों को सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित करेगा।

(2) यदि ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों की संख्या से अधिक हो तो रिटर्निंग अधिकारी मतदान के लिए नियत दिनांक के कम से कम तीस दिन पूर्व विदेश में निवास करने वाले या व्यवसाय करने वाले प्रत्येक निर्वाचक हवाई डाक द्वारा और देश के भीतर निवास करने वाले प्रत्येक अन्य निर्वाचक को डाक द्वारा प्रपत्र चार में मतपत्र और साथ-साथ प्रपत्र पांच में संख्यांकित घोषणा पत्र, प्रपत्र छः में सूचना का एक पत्र जिसमें वर्णमाला क्रम में अभ्यर्थियों के नाम होंगे और उस पर रिटर्निंग अधिकारी का आद्याक्षर या उसके हस्ताक्षर का प्रतिरूप होगा। रिटर्निंग अधिकारी को सम्बोधित मतपत्र आवरण और उक्त अधिकारी को सम्बोधित एक अन्य आवरण भी भेजा जायेगा।

{क} प्रतिबन्ध यह है कि रिटर्निंग अधिकारी की आवेदन करने पर किसी निर्वाचक को मतपत्र और अन्य सम्बन्धित पत्र रिटर्निंग अधिकारी को यह समाधान

हो जाने पर कि पत्रादि उसे नहीं भेजे गये हैं, मतदान के लिए नियत दिनांक के पूर्व भेजे जा सकते हैं।

(3) निर्वाचक को भेजे गये ऐसे प्रत्येक सूचना पत्र से सम्बन्ध में डाक प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा,

(4) ऐसा कोई निर्वाचक जिसने डाक द्वारा भेजे गये मतपत्र और अन्य सम्बन्धित पत्रादि प्राप्त नहीं किये हैं या जिसने उन्हें खों दिया है या जहाँ रिटर्निंग अधिकारी को पत्रादि लौटाने के पूर्व असावधानी से खराब हो गये हैं तो इस आशय का लिखित रूप में घोषणा पत्र भेज सकता है और मतदान के लिए नियत दिनांक के कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व रिटर्निंग अधिकारी से पत्रादि भेजने के लिए अनुरोध कर सकता है और यदि बचे पत्रादि खराब हो चुके हैं तो खराब पत्रादि रिटर्निंग अधिकारी को वापस कर दिया जायेगा और जिन्हें प्राप्त होने पर वह रद्द कर देगा।

(5) ऐसे प्रत्येक मामले में जिसमें नये पत्रादि जारी किये गये हैं, निर्वाचक नामावली में निर्वाचक के नाम से सम्बन्धित संख्या पर यह बताने के लिए निर्वाचक नामावली कि उसे गये पत्रादि जारी कर दिये गये हैं, एक चिन्ह लगाया जायेगा।

(6) किसी मतदाता द्वारा मतपत्र और अन्य सम्बन्धित पत्र प्राप्त न होने के कारण कोई निर्वाचन अविधिमान्य नहीं होगा।

(7) प्रत्येक निर्वाचक को उतने अभ्यर्थियों को मत देने का अधिकार होगा जितने स्थान निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले हों और मत अनन्तरणीय होगा।

(8) अपने मत का अभिलेख कराने के लिए इच्छुक प्रत्येक निर्वाचक सूचना पत्र (प्रपत्र चार) में दिये गये निर्देशों के अनुसार घोषणा पत्र (प्रपत्र पांच) और मतपत्र (प्रपत्र छः) भरने के पश्चात् मतपत्र आवरण में मतपत्र संलग्न करेगा, उक्त आवरण को घोषणा पत्र सहित रिटर्निंग अधिकारी को सम्बोधित बाहरी लिफाफा में छिपकाएगा और संलग्न करेगा और उस बाहरी लिफाफे को निर्वाचक के निजी खर्च पर डाक द्वारा या हाथों-हाथ स्वयं रिटर्निंग अधिकारी को भेजेगा जिससे कि वह मतदान के लिए निर्धारित दिनांक को मतदान समाप्त होने के लिए नियत समय तक पहुंच जाए।

(9) घोषणा पत्र वाले लिफाफे और मतपत्र वाले बन्द आवरण को डाक द्वारा या स्वयं द्वारा प्राप्त होने पर रिटर्निंग अधिकारी बाहरी लिफाफे पर उसकी प्राप्ति का दिनांक और समय पृष्ठांकित करेगा।

(10) मतदान के लिए निर्धारित दिनांक और समय के पश्चात् समस्त लिफाफे अस्वीकार कर दिये जायेंगे।

17-आवरण का खोला जाना-(1) रिटर्निंग अधिकारी मतदान के लिए निर्धारित दिनांक को मतदान समाप्ति के लिए नियत समय के तुरन्त पश्चात् बाहरी लिफाफे पर उसको सम्बोधित स्थान पर खोलेगा।

(2) कोई भी अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित हो सकता है या अपने द्वारा सम्यक् रूप से लिखित रूप में प्राधिकृत प्रतिनिधि की उस समय जब बाहरी लिफाफे खोले जाएं उपस्थित होने के लिए भेज सकता है।

18-मतपत्र आवरणों का अस्वीकार किया जाना-(1) किसी मतपत्र को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा, यदि-

[क] बाहरी लिफाफे में मतपत्र आवरण के बाहर कोई घोषणा पत्र न हो, या

[ख] रिटर्निंग अधिकारी द्वारा भेजा गया वही घोषणा पत्र न हो, या

[ग] घोषणा पत्र निर्वाचक द्वारा हस्ताक्षरित न हो, या

[घ] मतपत्र आवरण के बाहर मतपत्र रखा गया हो, या

[ङ] एक ही बाहरी लिफाफे में एक से अधिक घोषणा पत्र या मतपत्र आवरण संलग्न किये गये हों।

(2) अस्वीकार किये जाने प्रत्येक मामले में, मतपत्र आवरण और घोषणा-पत्र पर शब्द "अस्वीकृत" पृष्ठांकित किया जायेगा। अस्वीकृत किये जाने के कारण भी संक्षेप में मतपत्र आवरण पर अभिलिखित किये जायेंगे।

(3) अपना समाधान करने के पश्चात् कि निर्वाचकों ने घोषणा पत्रों पर अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं, रिटर्निंग अधिकारी नियम 21 के अधीन निस्तारण होने तक समस्त घोषणा पत्रों को सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा।

19-(1) मतों की संवीक्षा और गणना-मतों की गणना के लिए नियम दिनांक को, नियम 18 के अधीन अस्वीकृत किये गये मतपत्र आवरणों से भिन्न मतपत्र आवरणों को खोला जायेगा और मतपत्रों को निकाला जायेगा और उन्हें एक साथ मिला दिया जायेगा।

(2) तत्पश्चात् मतपत्रों की संवीक्षा की जायेगी और विधिमान्य मतों की गणना की जायेगी।

(3) गणना की प्रक्रिया का निरीक्षण करने के लिए कोई भी अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित हो सकता है लिखित और सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी प्रतिनिधि को भेज सकता है।

(4) कोई मतपत्र अविधिमान्य होगा, यदि:

[क] उस पर रिटर्निंग अधिकारी का आद्याक्षर या उसके हस्ताक्षर का प्रतिरूप नहीं है, या

{ख} कोई मतदाता मतपत्र पर अपना हस्ताक्षर करता है या उस पर कोई शब्द लिखता है या उस पर कोई ऐसा चिन्ह बना देता है जिससे यह पहचान हो जाए कि वह उसका मतपत्र है, या

{ग} उस पर कोई मत अभिलिखित न किया जाए, या

{घ} वह अभिलिखित मत की अनिश्चितता के कारण शून्य है, या

{ङ} उस पर अभिलिखित मतों की संख्या निर्वाचित किये जाने की संख्या से अधिक हो, या

{च} मतों का अभिलेखन इस प्रयोजन के लिए व्यवस्थित स्थान से भिन्न स्थान पर किया गया हो।

(5) रिटर्निंग अधिकारी मतों की संवीक्षा और गणना के समय अनुरोध किये जाने पर मतपत्रों को अभ्यर्थियों या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों को दिखायेगा:

(6) यदि कोई अभ्यर्थी या उसका प्रतिनिधि मतपत्र को इस आधार पर स्वीकार किये जाने पर आपत्ति करता है कि वह मत पत्र विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करता है या रिटर्निंग अधिकारी द्वारा तुरन्त विनिश्चय किया जायेगा जिसका उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा।

20- परिणाम की घोषणा—(1) जब मतों की गणना पूरी हो जाए तब रिटर्निंग अधिकारी प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त उच्चतम मतों के क्रम में अभ्यर्थियों की एक सूची बनायेगा और उस क्रम में सफल अभ्यर्थियों का परिणाम भरे जाने वाले स्थानों की संख्या के अनुसार घोषित करेगा।

(2) यदि इस प्रकार घोषित किया गया निर्वाचित कोई अभ्यर्थी निर्वाचन स्वीकार करने से इन्कार करता है तो उस अभ्यर्थी के स्थान पर शेष अभ्यर्थियों में से ऐसा अभ्यर्थी जिसने उसके बाद सबसे अधिक मत प्राप्त किये हों, निर्वाचित उसके बाद सबसे अधिक मत प्राप्त किये हों, निर्वाचित समझा जायेगा और जब कभी भी इस प्रकार रिक्ति हो जाए तो इसके लिए भी यह प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

(3) जब दो या अधिक अभ्यर्थियों के बीच मतों की संख्या बराबर-बराबर हो, तब यथास्थिति, ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों को जिसे या जिन्हें निर्वाचित समझा जायेगा उनके निर्वाचन की अवधारणा रिटर्निंग अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा पर्ची डालकर ऐसी रीति से किया जायेगा जैसी वह अवधारित करे।

(4) जैसे ही परिणाम की घोषणा कर दी जाए रिटर्निंग अधिकारी प्रत्येक सफल अभ्यर्थी को राज्य पशु चिकित्सा परिषद में उसके निर्वाचित हो जाने की सूचना तुरन्त देगा।

21- मतपत्रों का रखा जाना—(1) मतगणना पूरा होने पर और परिणाम की घोषणा करने के पश्चात रिटर्निंग अधिकारी मतपत्रों और निर्वाचन से सम्बन्धित समस्त अन्य दस्तावेजों को मुरहबन्द करेगा और उन्हें छः मास की अवधि के लिए रखेगा और उक्त छः मास की अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी बिना राज्य सरकार की अनुमति के इन अभिलेखों को नष्ट नहीं करेगा और न नष्ट करायेगा।

22- निर्वाचन के परिणाम की सूचना—(1) रिटर्निंग अधिकारी अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (2) के अधीन राज्य सरकार को निर्वाचित अभ्यर्थियों के नामों की समचना गजट में प्रकाशन के लिए देगा।

(2) निर्वाचन से सम्बन्धित किसी विवाद की स्थिति में जिसे उस निर्वाचन के परिणाम की घोषणा के पन्द्रह दिन के भीतर रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है, उसे अधिनियम की धारा 37 के अधीन विनिश्चय के लिए राज्य सरकार की निर्दिष्ट किया जायेगा।

अध्याय—तीन

राज्य पशुचिकित्सा परिषद के अध्यक्ष का निर्वाचन
(धारा 36)

23-राज्य पशुचिकित्सा परिषद के सदस्यों का रजिस्टर— राज्य पशुचिकित्सा परिषद का कार्यालय प्रपत्र सात में एक रजिस्टर रखेगा जिसमें समय-समय पर निर्वाचित या उसमें नाम निर्देशित सदस्यों के नाम और अन्य ब्यौरे दिये जायेंगे।

24- राज्य पशुचिकित्सा परिषद के अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया—(1) राज्य पशुचिकित्सा परिषद का अध्यक्ष परिषद के सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित किया जायेगा। निर्वाचन उक्त परिषद के यथास्थिति गठन या पुनर्गठन के पश्चात उसकी प्रथम बैठक में किया जायेगा।

(2) रजिस्ट्रार उस बैठक में उपस्थित सदस्यों को अध्यक्ष के पद के लिए अपने नाम निर्देशन के लिए आमंत्रित करेगा। प्रत्येक नाम निर्देशन का समर्थन उस बैठक में उपस्थित किसी अन्य सदस्य द्वारा समर्थक के रूप में किया जायेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि कोई सदस्य अध्यक्ष की अभ्यर्थिता के लिए एक से अधिक सदस्य को न तो नाम निर्दिष्ट करेगा और न उसका समर्थन करेगा।

(3) यदि इस प्रकार केवल एक व्यक्ति नामनिर्दिष्ट हो तो वह राज्य पशुचिकित्सा परिषद का अध्यक्ष के रूप में सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित किया जायेगा।

(4) फिर भी यदि अध्यक्ष की अभ्यर्थिता के लिए सम्यक् रूप से नामनिर्दिष्ट और समर्थित एक से

अधिक सदस्य हों तो रजिस्ट्रार निम्नलिखित रीति से मतदान कराने की कार्यवाही करेगा :

(क) प्रत्येक उपस्थित सदस्य को एक पर्ची दी जायेगी जिस पर सदस्य उस प्रतियोगी का नाम लिखेगा जिसके पक्ष में वह अपना मत डालना चाहता है तत्पश्चात् वह पर्ची की मोडेगा और उसे रजिस्ट्रार को दे देगा।

(ख) समस्त पर्चियाँ प्राप्त हो जाने पर रजिस्ट्रार प्रत्येक प्रतियोगी द्वारा प्राप्त मतों की संख्या गिनेगा और उस सदस्य की जो सबसे अधिक मत प्राप्त करता है राज्य पशुचिकित्सा परिषद के अध्यक्ष के रूप में सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित किया जायेगा।

(ग) यदि दो या अधिक प्रतियोगी बराबर-बराबर मत प्राप्त करते हैं जिससे कि यह विनिश्चित करना कठिन हो जाता है कि किसने अधिकतम मत प्राप्त किये हैं तो रजिस्ट्रार ऐसे मामले का विनिश्चय ऐसी रीति से जैसी वह उचित समझे, पर्ची डालकर कर सकता है और इस प्रकार पर्ची द्वारा अभिज्ञात सदस्य की राज्य पशुचिकित्सा परिषद के अध्यक्ष के रूप में सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित किया जायेगा।

अध्याय-4

राज्य पशुचिकित्सा परिषद के कार्य का सम्पादन की प्रक्रिया धारा 38(6)

25- कार्य का समय और स्थान-(1) राज्य पशुचिकित्सा परिषद का कार्य सम्बन्धी बैठकें साधारणतया प्रत्येक तीन माह में एक बार ऐसे समय और स्थान पर की जायेगी। जैसा उसके अध्यक्ष द्वारा विनिश्चय किया जाये।

प्रतिबन्ध यह है कि चयनित स्थान उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर होगा।

(2) राज्य पशुचिकित्सा परिषद का अध्यक्ष उक्त परिषद के कार्य सम्बन्धी किसी बैठक के दौरान उसकी अगली बैठक के लिए दिनांक का विनिश्चय कर सकता है।

(3) राज्य पशुचिकित्सा परिषद की कोई विशेष बैठक, यदि आवश्यक समझी जाये अध्यक्ष द्वारा सात दिन की सूचना पर किसी भी समय बुलायी जायेगी।

(4) राज्य पशुचिकित्सा परिषद की प्रथम बैठक जो किसी वित्तीय वर्ष में हुई हो वह राज्य पशुचिकित्सा परिषद की उस वर्ष की वार्षिक बैठक समझी जाएगी।

(5) उपनियम(3) के अधीन बुलायी गयी किसी विशेष बैठक से भिन्न बैठक का कार्यवत्त् राज्य पशुचिकित्सा परिषद के प्रत्येक सदस्य को रजिस्ट्रार द्वारा स्वयं दिया जाएगा या रजिस्टर्ड डाक द्वारा उन्हें उक्त बैठक के पश्चात् कम से कम तीस दिन के अन्दर संप्रेषित किया जायेगा।

(6) राज्य पशुचिकित्सा परिषद की किसी साधारण त्रैमासिक बैठक की प्रारम्भिक कार्य-सूची पर कार्यक्रमों के मदों की लिखित सूचना रजिस्ट्रार द्वारा सदस्यों की बैठक के बहुत पूर्व और किसी भी स्थिति में बैठक के लिए निर्धारित दिनांक के कम से कम तीस दिन पूर्व दी जायेगी।

(7) फिर, भी किसी विशेष बैठक की स्थिति में, रजिस्ट्रार उस बैठक के लिए निर्धारित दिनांक के कम से कम सात दिन पूर्व उक्त बैठक के लिए सूचना के साथ- साथ उस बैठक के प्रस्तावित कार्य-सूची पर कार्यक्रम की मदे भेजेगा।

(8) ऐसा कोई सदस्य जो किसी साधारण बैठक की कार्य-सूची में सम्मिलित न किये गये किसी, प्रस्ताव को रखना चाहता है या इस प्रकार सम्मिलित की गयी कार्य-सूची के किसी मद में संशोधन करना चाहता है तो उसकी लिखित सूचना रजिस्ट्रार को बैठक के लिए निर्धारित दिनांक से कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व देगा। तत्पश्चात् रजिस्ट्रार राज्य पशुचिकित्सा परिषद के अध्यक्ष की सहमति से बैठक के लिए अन्तिम कार्य-सूची में ऐसे किसी अनुरोध को स्थान देगा।

26-कार्य सत्र- राज्य पशुचिकित्सा परिषद के प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता उसका अध्यक्ष उपस्थिति होने पर ब्योरा या उसकी अनुपस्थिति की दशा में उस बैठक की अध्यक्षता करने के लिए उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने में से चुने गये किसी अन्य सदस्य द्वारा की जायेगी।

27-गणपूर्ति-(1) राज्य पशुचिकित्सा परिषद की किसी बैठक में कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक गणपूर्ति छः होगी अर्थात् संख्या के एक तिहाई से कम नहीं होगी।

(2) यदि किसी बैठक के लिए नियत समय पर गणपूर्ति पूरी न हो तो बैठक गणपूर्ति के पूरी होने तक प्रारम्भ नहीं होगी और यदि बैठक के नियत समय से एक घन्टे की समाप्ति पर भी गणपूर्ति पूरी न हो तो बैठक उसी तिमाही में ऐसे भावी दिनांक और समय के लिए स्थगित कर दी जायेगी जैसा राज्य पशुचिकित्सा परिषद का अध्यक्ष नियत करें।

28-कार्यकलाप(1) ऐसे सभी प्रश्न जो राज्य पशुचिकित्सा परिषद के किसी बैठक के समक्ष आये उपस्थित सदस्यों के बहुमत से और मतदान द्वारा विनिश्चित किये जायेंगे।

(2) मतों की बराबरी की स्थिति में, बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का निर्णायक मत होगा।

(3) राज्य पशुचिकित्सा परिषद के प्रत्येक बैठक के चाहे साधारण हो या विशेष कार्यवृत्त की एक

व बैठक के दो दिन के भीतर उसके अध्यक्ष को प्रस्तुत की जायेगी और उसके द्वारा अभिप्रेमाणित करने के पश्चात् प्रत्येक सदस्य को भेजी जायेगी जैसा कि नियम 25 के उपनियम(5) के अधीन व्यवस्थित है।

अध्याय-पाँच
कार्यपालिका और अन्य समितियाँ (धारा 40)

29-कार्यपालिका समिति और अन्य समितियाँ-(1) राज्य पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम की धारा 40 के अधीन अपरे सदस्यों में से एक कार्यपालिका समिति और अन्य समितियाँ ऐसे प्रयोजनों के लिए,जैसा वह आवश्यक समझे, इस निमित्त किसी प्रस्ताव के अंगीकरण पर गठित कर सकती है और उक्त प्रस्ताव में स्वयं ऐसे प्रत्येक समिति का प्रयोजन और कृत्य परिनिश्चित कर सकती है।

(2)राज्य पशुचिकित्सा परिषद कार्यपालिका समिति से भिन्न किसी समिति में किसी विषय पर सलाह देने के लिए विशेष रूप से अर्ह किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को इस निमित्त किसी प्रस्ताव के अंगीकरण द्वारा सहयोजित भी कर सकती है।

(3)यथास्थिति कार्यपालिका समिति या किसी अन्य समिति की किसी बैठक के लिए गणपूर्ति उसके गठन के समय विनिर्दिष्ट की जायेगा। गणपूर्ति इस सम्बन्ध में नियत सदस्यों के साधारण गहुमत से कम नहीं होगी।

(4)इस प्रकार गठित कार्यपालिका समिति और अन्य समितियाँ राज्य पशुचिकित्सा परिषद के रजिस्ट्रार को ऐसे प्रस्ताव में जिसमें समिति का गठन किया गया है, निर्दिष्ट विषयों पर प्रस्ताव में इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट समय के भीतर रिपोर्ट करेगी।

(5) आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय उपनियम (1) के अधीन राज्य पशुचिकित्सा परिषद द्वारा गठित किसी समिति के समय को बढ़ाया नहीं जायेगा।

(6)रजिस्ट्रार राज्य पशुचिकित्सा परिषद की अगली बैठक में उसके समक्ष समिति की उक्त रिपोर्ट रखेगा।

अध्याय-छः

फीस और दैनिक भत्ता-(1)राज्य पशुचिकित्सा परिषद के अध्यक्ष और राज्य सरकार के पदाधिकारियों और पदेन सदस्यों के भिन्न अन्य सदस्यों को, यथास्थिति राज्य पशुचिकित्सा परिषद या समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को प्रयोज्य दरों पर यात्रा और दैनिक भत्ते का भुगतान किया जायेगा।

(2)राज्य पशुचिकित्सा परिषद के सदस्यों से भिन्न समिति के सदस्यों की समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए ऐसे यात्रा और दैनिक भत्तों का भुगतान किया जाएगा जैसा कि राज्य पशुचिकित्सा परिषद के सदस्यों को अनुमन्य हो।

(3)राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट पदेन सदस्य, फिर भी, ऐसे यात्रा और अन्य भत्तों के हकदार होंगे जैसा उन्हें यथास्थिति उनके पैतृक विभाग या संगठन के नियमों के अनुसार अनुमन्य हों।

31-फीस-(1) राज्य पशुचिकित्सा परिषद या कार्यपालक समितियों या अन्य समितियों की बैठकों में उपस्थित होने के लिए राज्य पशुचिकित्सा परिषद के सदस्य या पदेन सदस्य (अध्यक्ष से भिन्न) को पचास रुपये की फीस का भुगतान किया जायेगा।

(2)राज्य पशुचिकित्सा परिषद के अध्यक्ष को यदि यह राज्य राज्य सरकार का पदाधिकारी नहीं है, राज्य पशुचिकित्सा परिषद की प्रत्येक बैठक में उपस्थित होने के लिए एक सौ रुपये की फीस और किसी समिति की बैठकों में उपस्थिति होने के लिए पचास रुपये का भुगतान किया जायेगा।

(3)जहां राज्य पशुचिकित्सा परिषद का कोई सदस्य नियम 26 के अधीन उसकी किसी बैठक की अध्यक्षता करता है, वहां उसे एक सौ रुपये की फीस का भुगतान किया जायेगा।

अध्याय-सात

रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा के निबन्धन और शर्तें (धारा 42 (2))

32-राज्य पशुचिकित्सा परिषद के रजिस्ट्रार और परिषद के द्वारा नियुक्त अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा के निबन्धन और शर्तें इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, वही होगी जैसा राज्य सरकार की सेवा नियमों के अधीन उसी प्रास्थिति के राज्य सरकार के पदाधिकारियों पर प्रयोज्य हों।

अध्याय-आठ

राज्य पशुचिकित्सा रजिस्ट्रार

33-यथास्थिति राज्य सरकार या राज्य पशुचिकित्सा परिषद जैसा कि अधिनियम की धारा 44 के अधीन उपबन्धित है, उत्तर प्रदेश के लिए प्रपत्र आठ में राज्य पशुचिकित्सा या रजिस्ट्रार रखेगी जिसमें ऐसे व्यक्तियों के नाम और अन्य सुसंगत विशिष्टियाँ होंगी जो मान्यताप्राप्त पशुचिकित्सा अर्हताये रखते हों और अधिनियम के अधीन राज्य पशुचिकित्सा परिषद में रजिस्ट्रीकृत हों।

34-प्रथम रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन-पत्र और रजिस्ट्रीकरण फीस (धारा 45)-(1) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो

मान्यता प्राप्त पशुचिकित्सा आर्हता रखता है और उत्तर प्रदेश राज्य का निवासी है और जो राज्य पशुचिकित्सा परिषद में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराना चाहता है, रजिस्ट्रीकरण के लिए धारा 45 अधीन गठित रजिस्ट्रीकरण अधिकरण को आवेदन करेगा, आवेदन-पत्र रजिस्ट्रार उत्तर प्रदेश पशुचिकित्सा परिषद को सम्बोधित होगा और उसके साथ पच्चीस रूपये की रजिस्ट्रीकरण फीस होगी।

(2) राज्य पशुचिकित्सा रजिस्टर में किसी व्यक्ति का नाम प्रविष्ट होने पर रजिस्ट्रार उसे प्रपत्र उस में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा।

35-रजिस्ट्रीकरण के लिए नवीनीकरण फीस (धारा 48)-(1) राज्य पशुचिकित्सा रजिस्टर में नाम को बनाये रखने के लिए किसी व्यक्ति को राज्य पशुचिकित्सा परिषद को पांच वर्ष पर पन्द्रह रूपयेका रजिस्ट्रीकरण नवीनीकरण फीस उस वर्ष के जिसमें उसे रजिस्ट्रीकरण नवीनीकरण कराना हो, पहली अप्रैल के पूर्व भुगतान करना-पड़ेगा।

(2)राज्य पशुचिकित्सा रजिस्टर में फीस व पुनः स्थापना (धारा-50)-राज्य पशुचिकित्सा रजिस्टर से हटाये गये किसी व्यक्ति के नाम को पुनः स्थापित करने के लिए पन्द्रह रूपये फीस होगी।

36-राज्य पशुचिकित्सा की मुद्रित प्रति की लागत (धारा-51) राज्य पशुचिकित्सा रजिस्टर की मुद्रित प्रतियां दस रूपया प्रति कापी की दर प्रभार का भुगतान करने पर उपलब्ध करायी जायेगी।

37-प्रमाण पत्रों की दूसरी प्रति को जारी किया जाना-

(1)राज्य पशुचिकित्सा परिषद के रजिस्ट्रार द्वारा यथास्थिति रजिस्ट्रीकरण या नवीनीकरण के प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति दस रूपये की फीस का भुगतान करने पर जारी की जायेगी।

(2)उक्त प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति प्रपत्र ग्यारह में होगी।

टिप्पणी- राज्य पशुचिकित्सा परिषद को भुगतान की गयी फीस वापस नहीं की जा सकेगी।

प्रपत्र एक

निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करने के लिए दावा
(नियम 6 और 7 देखिए)

सेवा में,

रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश राज्य पशुचिकित्सा परिषद
लखनऊ।

महोदय,

मैं एतद्वारा भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम 1984(अधिनियम संख्या 52,सन1984) की धारा 32 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य पशुचिकित्सा परिषद के आगामी निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करने का अपना दावा उक्त अधिनियम के अधीन बनायी गयी उत्तर प्रदेश राज्य पशुचिकित्सा परिषद नियमावली 1990 के नियम 6 और 7 के अधीन प्रस्तुत करता हूँ। सुसंगत ब्यौरे नीचे दिये गये हैं

नाम(बड़े अक्षरों में).....

पता.....

शैक्षिक अर्हताएं.....

पद नाम और कार्यालय का पता यदि कोई हो.....

दावा के लिए आधार.....

(सबूत सहित यदि कोई हो).....

मैं घोषणा करता हूँ कि मैं भारत का नागरिक हूँ.....राज्य में निवास करता हूँ और उत्तर प्रदेश में पशुचिकित्सा औषधि का व्यवसाय करता हूँ, नियोजित हूँ।

स्थान.....

दिनांक.....

(दावेदार का हस्ताक्षर)

निर्वाचक नामावली के प्रारूप में किसी प्रविष्टि पर आपत्ति
(नियम 6 और 7 देखिए)

सेवा में,

रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश राज्य पशुचिकित्सा परिषद
लखनऊ।

महोदय,

मैं एतद्वारा भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम 1984(अधिनियम संख्या 52,सन1984) की धारा 32 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य पशुचिकित्सा परिषद के आगामी निर्वाचन के सम्बन्ध में प्रस्तावित निर्वाचक नामावली के प्रारूप में निम्नलिखित प्रविष्टि पर अपनी आपत्ति उक्त अधिनियम के अधीन बनायी गयी उत्तर प्रदेश राज्य पशुचिकित्सा परिषद नियमावली,1990 के नियम 6 और 7 के अधीन प्रस्तुत करता हूँ।

1-उस व्यक्ति का नाम जिसके नाम की निर्वाचक नामावली के प्रारूप में प्रविष्टि पर आपत्ति की गयी है(बड़े अक्षरों में).....

2-उस प्रविष्टि की विशिष्टियां जिस पर आपत्ति की गयी है.....

3- प्रविष्टि पर आपत्ति के आधार.....

स्थान.....

दिनांक.....

(आपत्ति कर्ता का हस्ताक्षर)

आपत्तिकर्ता की क्रम-संख्या

और उसका नाम जैसा कि

निर्वाचक नामावली के प्रारूप में है.....

आपत्तिकर्ता का पता.....

स्थान.....

दिनांक.....

(प्रतिहस्ताक्षर)

प्रतिहस्ताक्षर करने वाले

व्यक्ति की क्रम संख्या और नाम जैसा कि

निर्वाचक नामावली के प्रारूप में है.....

प्रतिहस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का पता.....

प्रपत्र-तीन
नाम निर्देशन पत्र
(नियम 11 देखिए)

भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम 1984 (अधिनियम संख्या 52,सन1984) की धारा 32 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य पशुचिकित्सा परिषद के निर्वाचन

1-अभ्यर्थी का नाम.....

2-पिता का नाम.....

3-आयु और जन्म तिथि.....

4-अर्हता की प्रकृति.....

5-रजिस्ट्रीकृत संख्या (राज्य पशुचिकित्सा रजिस्टर में).....

6- राज्य पशुचिकित्सा रजिस्टर या उसके

अनुपूरक(वर्ष उल्लिखित किया जाए) में पृष्ठ संख्या जिस पर नाम हो.....

7-नामावली में क्रम संख्या.....

8-पता गृह संख्या, खण्ड / गली संख्या, ग्राम/कस्बा

डाकघर.....

पिन कोड.....

9-प्रस्तावक का नाम.....

10-प्रस्तावक का हस्ताक्षर.....

11-राज्य पशुचिकित्सा रजिस्टर
मे प्रस्तावक की रजिस्ट्रीकृत संख्य और उक्त
रजिस्टर या उसके अनुपूरक (वर्ष उल्लिखित किया
जाए) में पृष्ठ संख्या जिसमें नाम हो.....

12-नामावली में क्रम संख्या.....

13-समर्थक का नाम.....

14-समर्थक के हस्ताक्षर.....

15-राज्य पशुचिकित्सा रजिस्टर मे समर्थक की क्रम संख्या
और उक्त रजिस्टर या उसके अनुपूरक (वर्ष उल्लिखित किया जाए)
में पृष्ठ संख्या जिसमें नाम हो.....

16-नामावली में क्रम संख्या.....

अभ्यर्थी द्वारा घोषणा

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं इस नामनिर्देशन से सहमत हूँ।

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

यह नाम निर्देशन पत्र मेरे द्वारा.....(स्थान) पर.....(दिनांक) को.....
बजे प्राप्त किया गया था।

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

अनुदेश

ऐसे नाम निर्देशन पत्र जो रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिनांक.....को बजे.....से पूर्व प्राप्त अविधिमान्य
समझे जायेंगे।

प्रपत्र चार
मतपत्र
(नियम 16(2) देखिए)

मतपत्र की क्रम संख्या.....

भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम 1984 (अधिनियम संख्या 52,सन1984) के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य
पशुचिकित्सा परिषद में सदस्य निर्वाचित किये जाने हैं :

क्रम संख्या	सम्यक् रूप से नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थियों के नाम और पते	मत
1.		
2.		
3.		
4.		

रिटर्निंग अधिकारी का अद्याक्षर /उसके हस्ताक्षर का प्रतिरूप

अनुदेश

1-प्रत्येक मतदाता की उतने अभ्यर्थियों को मत देने का अधिकार होगा जितने निर्वाचित किये जाने वाले की संख्या हो।

2- वह उस/उन अभ्यर्थी(अभ्यर्थियों) के जिसे (जिन्हें) बनाकर वह पसन्द करता है नाम के सामने X मत देगा।

3-मतपत्र अविधिमान्य हो जायेगा यदि-

(क) उस पर रिटर्निंग अधिकारी का आद्याक्षर या उसके हस्ताक्षर का प्रतिरूप न हो, या

(ख) मतदाता उस पर अपना हस्ताक्षर करता है या कोई शब्द लिखता है या कोई चिन्ह बनाता है जिससे उसकी पहचान हो जाए कि वह उसका मतपत्र है, या

(ग) उस पर कोई मत अभिलिखित न किया जाए, या

(घ) यदि चिन्ह X इस प्रकार लगाया जाए जिससे यह सन्देह हो कि वह किस अभ्यर्थी के लिए अभिप्रेत है यदि उसे निर्वाचित किये जाने के लिए अपेक्षित अभ्यर्थियों की संख्या इंगित की जाए संख्या से अधिक संख्या के नामों के सामने लगाया जाए।

प्रपत्र पाँच
घोषणा पत्र
(नियम 16(2) देखिए)

भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम 1984 (अधिनियम संख्या 52, सन 1984) की धारा 32 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य पशुचिकित्सा परिषद के निर्वाचन

मतदाता का नाम.....

राज्य पशुचिकित्सा रजिस्टर
संख्या और इस रजिस्टर या
उसके अनुपूरक (वर्ष उल्लिखित
किया जाए) में पृष्ठ संख्या जिस
पर नाम हो

मतदाता का घोषणा

मैं.....(पूरा नाम और पदनाम यदि कोई हो) घोषणा करता हूँ कि मैं भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम 1984 (अधिनियम संख्या 52, सन 1984) की धारा 32 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन निर्वाचन मण्डल द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य पशुचिकित्सा परिषद में सदस्यों के निर्वाचन के लिए मतदाता हूँ और यह कि मैंने इस निर्वाचन में कोई अन्य मतपत्र प्रस्तुत नहीं किया है।

केन्द्र.....

दिनांक.....

मतदाता का हस्ताक्षर

प्रपत्र—छः

सूचना का पत्र

(नियम 16(2) देखिए)

श्रीमान/श्रीमती.....

ऐसे व्यक्ति जिनका नाम संलग्न मतपत्र पर मुद्रित है, भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम 1984 (अधिनियम संख्या 52, सन 1984) की धारा 32 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य पशुचिकित्सा परिषद के निर्वाचन

के लिए अभ्यर्थी के रूप में सम्यक् रूप से नाम निर्दिष्ट किये गये हैं यदि आप निर्वाचन में मत देने की इच्छा करते हैं तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप.....

(क) घोषणा पत्र (प्रपत्र पाँच) में भरेंगे और उस पर हस्ताक्षर करेंगे

(ख) मतपत्र (प्रपत्र चार) में इस प्रयोजन के लिए व्यवस्थित स्तम्भ में अपना मत चिन्हित करेंगे जैसा कि मतपत्र पर निर्देशित है।

(ग) अपेक्षाकृत छोटे आवरण में मतपत्र की संलग्न करेंगे और चिपका देंगे और

(घ) अपेक्षाकृत छोटे आवरण और घोषणा पत्र की बाहरी लिफाफे से संलग्न करेंगे जो अपेक्षाकृत बड़ा है और जिस पर मेरा पता पहले से मुद्रित है और उसे मेझे डाक द्वारा अपने खर्च पर वापस करेंगे या उसे मेरे कार्यालय में स्वयं देंगे जिससे वह दिनांक.....कोबजे अवश्य मेरे पास पहुंच जाए।

2—मत पत्र अस्वीकार कर दिया जाएगा यदि,

(क) बाहरी लिफाफा जिसके साथ मतपत्र आवरण और घोषणा पत्र संलग्न है, डाक द्वारा नहीं भेजा जाता है या मेरे कार्यालय में स्वयं नहीं दिया जाता है मतदान समाप्त होने के लिए निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त होता है, या

(ख) बाहरी लिफाफे में अपेक्षाकृत छोटे आवरण के बाहर कोई घोषणा पत्र न हो, या

(ग) मतपत्र मतपत्र आवरण के बाहर रखा गया हो, या

(घ) घोषणा पर वह न हो जो रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतदाता को भेजा गया हो, या

(ङ) एक ही बाहरी लिफाफे में एक से अधिक घोषणा पत्र या मतपत्र संलग्न किये गये हों, या

(च) घोषणा पत्र पर मतदाता द्वारा हस्ताक्षर न किया गया हो, या

(छ) मतपत्र अविधिमान्य हो।

3— कोई मतपत्र अविधिमान्य हो जायेगा यदि.....

(1) उस पर रिटर्निंग अधिकारी का आद्याक्षर या उसके हस्ताक्षर का प्रतिरूप न हो,

(2) मतदाता मतपत्र पर अपना हस्ताक्षर करता है या उस पर कोई शब्द लिखता है या उस पर कोई चिन्ह बनाता है जिससे पहचाना जा सके कि वह उसका मतपत्र है, या

(3) उस पर कोई मत अभिलिखित न किया जाये, या

(4) उस पर अभिलिखित मतों की संख्या निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों की संख्या से अधिक हो, या

(5) वह प्रयोग किये गये मत की अनिश्चितता से शून्य हो।

4- यदि कोई मतदाता अनजाने से कोई मतपत्र खराब करता है तो वह उसे मतदान के लिए नियत दिनांक से कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व रिटर्निंग अधिकारी को वापस कर सकता है जो यदि ऐसे अनजानेपन से सन्तुष्ट हो जाए तो से एक दूसरा मतपत्र जारी करेगा।

5- मतों की संवीक्षा और गणना दिनांक.....की..
.....बजे से प्रारम्भ होगी।

6-रिटर्निंग अधिकारी ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें वह अपनी सहायता के लिए नियुक्त करे? अभ्यर्थियों या उनके सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधियों के सिवाय कोई व्यक्ति संवीक्षा और गणना में उपस्थित नहीं होगा।

रिटर्निंग अधिकारी।

प्रपत्र सात
उत्तर प्रदेश राज्य पशुचिकित्सा परिषद के सदस्यों का रजिस्टर
(नियम 23 देखिए)

क्रम सं०	सदस्यों का नाम	पता	जन्म की तिथि	निर्वाचित है या नामनिर्दिष्ट	या खंड अधीन या नाम निर्दिष्ट किया गया	जिसके निर्वाचित नाम निर्दिष्ट किया गया
1	2	3	4	5	6	
1						
2						
3						
4						
5						

सरकारी गजट में नाम की अधिसूचा संख्या और दिनांक	नाम की प्रारम्भ होने का दिनांक	पद का कार्यकाल का दिनांक	पद की समाप्ति का नियत दिनांक	नियत दिनांक के पूर्व पद की समाप्ति का दिनांक और यदि कोई हो	अभ्युक्ति कोई हो कारण	यदि कोई हो
7	8	9	10	11		

प्रपत्र-आठ
भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम 1984 की धारा 44 के अधीन रखा गया उत्तर प्रदेश
राज्य पशुचिकित्सा रजिस्टर

क0सं0	रजिस्ट्रीकृत का पूरा नाम	व्यक्ति जन्म दिनांक	का राष्ट्रीयता	आवासीय पता	राज्य पशुचिकित्सा रजिस्टर में प्रवेश का दिनांक
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					

रजिस्ट्रीकरण के लिए आर्हता

आर्हता	दिनांक जब प्राप्त किया गया	अर्हता प्रदान करने वाला प्राधिकारी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय	वृत्तिक पता	स्थायी पता
7	8	9	10	11

अन्य शैक्षिक अर्हता यदि कोई हो

वर्तमान व्यवसाय

अर्हता	संस्था जिससे प्राप्त किया	वर्ष दिनांक सहित	सरकारी सेवा	प्राइवेट सेवा	सेवा निवृत्त	अभ्युक्ति
12	13	14	15	16	17	18

प्रपत्र नौ

भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम 1984(अधिनियम संख्या 52 सन् 1984) के अधीन रजिस्ट्रीकृत पशुचिकित्सा व्यवसायी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पर

(नियम 34, देखिये)

सेवा में,

रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश पशुचिकित्सा परिषद
लखनऊ।

महोदय,

मैं भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम 1984(अधिनियम संख्या 52 सन् 1984) के अधीन आपके द्वारा रखे जाने वाले/रखे गये उत्तर प्रदेश राज्य पशुचिकित्सा रजिस्टर में अपना नाम पता, आर्हताएं और अन्य विशिष्टियां, जैसा नीचे दिया गया है, रजिस्ट्रीकृत करने और यथावधि पर ऐसे रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आप से अनुरोध करता हूँ।

2- मैं आपके सत्यापन के लिए अपनी अर्हताओं के समर्थन में अपनी उपाधियां/डिप्लोमा मूल रूप में संलग्न करता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि उन्हें मूझे वापस कर दिया जाए जब उनकी आवश्यकता न हो मैं आपके अभिलेख के लिए उनकी प्रमाणित प्रतियां भी संलग्न करता हूँ।

3-.....रूपये की विहित रजिस्ट्रीकरण फीस भी इसके साथ संलग्न डिमाण्ड ड्राफ्ट जिसकी संख्या.....और दिनांकहै के माध्यम से भेजी जाती है और उसे रेखांकित किया जाता है और आपकी.....पर देय किया जाता है।

4- मेरी ऊपर निर्दिष्ट विशिष्टियां निम्नलिखित हैं

(क) पूरा नाम (बड़े अक्षरो में).....

(ख) जन्म का स्थान और दिनांक.....

(ग) राष्ट्रीयता.....

(घ) आवासीय पता.....

(ङ) वृत्तिक पता.....

(च) पशुचिकित्सा आर्हता.....

आर्हता	उत्तीर्ण होने का दिनांक और वर्ष	विश्वविद्यालय या संस्था
--------	---------------------------------	-------------------------

(छ) अन्य शैक्षिक आर्हताएं यदि कोई हो.....

(ज) वर्तमान व्यवसाय (क) सरकारी सेवा

(ख) प्राइवेट कार्य.....

(ग) सेवा निवृत्त व्यक्ति.....

(झ) कोई अन्य सुसंगत सूचना.....

5- मैं प्रतिज्ञान करता हूँ कि ऊपर दी गयी समस्त विशिष्टियां सही हैं।

स्थान.....

दिनांक.....

भवदीय

(आवेदक के हस्ताक्षर)

प्रपत्र—दस

रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण—पत्र

{ नियम 34 (2) देखिए }

भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (अधिनियम संख्या 52 सन् 1984) की धारा 32 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद्

(मुहर)

संख्या—

दिनांक —

यह प्रमाणित किया जाता है कि डा० —

निवासी— को रजिस्ट्रीकृत पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (अधिनियम संख्या 52 सन् 1984) के अधीन ऐसे व्यवसायी की स्वीकृत समस्त सुविधाओं के हकदार हैं, उनकी रजिस्ट्रीकरण संख्या— हैं। उक्त अधिनियम के अधीन स्तर प्रदेश राज्य पशुचिकित्सा परिषद् में यह रजिस्ट्रीकरण किया गया है।

इसके साक्ष्य में इस पर उत्तर प्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद् की मुहर लगायी जाती है और उक्त राज्य पशुचिकित्सा परिषद् में रजिस्ट्रार का हस्ताक्षर किया जाता है।

(मुहर)

(रजिस्ट्रार का हस्ताक्षर)

प्रपत्र—ग्यारह

रजिस्ट्रीकरण / रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण का द्वितीय प्रमाण—पत्र

(नियम 37 देखिये)

भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (अधिनियम संख्या— 52 सन् 1984) की धारा 32 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश राज्य पशुचिकित्सा परिषद्

(मुहर)

रजिस्ट्रीकरण या रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण का द्वितीय प्रमाण—पत्र इसी पैटर्न पर होगा जैसा मूल प्रमाण—पत्र, परन्तु यह कि शब्द "द्वितीय प्रति" उक्त प्रमाण—पत्र के दाहिने कोने पर सबसे ऊपर लाल स्याही में मुद्रित होगा।

In pursuance of the provisions of clause (3) Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publications of the following English translation of notification no. 2956/XII-P-1-91. date July 6, 1991:

No. 2956/XII-P-1-91
July 6, 1991

In the exercise of the powers under sections 65 of the Indian Veterinary Council Act, 1984 (Act no. 52 of 1984), the Governor is pleased to make the following rules:

THE UTTAR PRADESH STATE VETERINARY COUNCIL RULES, 1991.

CHAPTER I-*Preliminary*

1. Short title and commencement.-(1)

"These rules may be called the Uttar Pradesh State Veterinary Council Rules, 1991.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the official Gazette.

2. Definitions.-(1) In these rules, unless there is anything repugnant in the subject of context:

(a) 'Act' means the Indian Veterinary Council Act, 1984 (Act no. 52 of 1984);

(b) 'Elections' or 're-election' means election or re-election to the State Veterinary Council;

(c) 'Form' means a Form appended to these rules;

(d) 'Nomination' or 're-nomination' means nomination or re-nomination to the State Veterinary Council;

(e) 'Registrar' means the Registrar of the State Veterinary Council;

(f) 'State Government' means the Government of Uttar Pradesh;

(g) 'Section' means a section of the Act;

(z) 'Tribunals' means the Registration Tribunal for Uttar Pradesh established under sections 45 of the Act.

(2) Words and expressions used in these rules but not separately defined shall have the meaning assigned to them in the Act.

CHAPTER II-Election of Members to the State Veterinary Council (Section 37)

3. Notice of election.-For purpose of electing the members of the State Council under clause (a) of sub-section (1) of section 32, the

State Government shall, publish a notice in local news papers for the information of all the Veterinary practitioners registered in the State Veterinary register in respect of the expected date of election.

4. Preparation of the electoral roll.-As soon as may be after publication of the notice under sub-rule (1), the Registrar shall prepared the electoral roll mentioning there in the name and address of all the Veterinary practitioners register.

5. Publication of the electoral roll.-The Registrar shall publish the electoral roll prepared under sub-rule (2) and make available a copy, thereof, for inspection by displaying in the office of the State Veterinary Council.

6. Claim and objections.-Every claim for inclusion of the name in the electoral roll and every objection to an entry there in shall be lodged within a period of thirty days from the date of publication of the electoral roll under rule in Form I and II respectively.

7. Forms of claim and objection and their manner.-(1) Every claim in Form I shall be signed by the registered Veterinary practitioners.

(2) Every objection in Form II shall be preferred by a registered Veterinary practitioners has already been included in the electoral roll and shall be countersigned by another registered Veterinary practitioner whose name if also included in the roll.

(3) The claims and objections shall be considered by the Registrar who may reject any claim by recording the reasons for such rejection.

(4) The decision of the Registrar allowing or rejection a claim or objection shall be final.

8. Final publication of the roll.-(1) The Registrar shall publish the final electoral roll after making amendments, if any, considered by him to be necessary.

(2) A copy of the final electoral roll published under sub-rule (1) shall be sent to the State Government.

9. Returning officer and Assistant Returning Officers.-(1) The State Government shall, after receipt of a copy of the electoral roll published under sub-rule (1) of rules 8 designate or nominate a Returning Officer who shall be and officer of the State Government.

(2) The State Government may also appoint one or more persons, who shall also be officers of the State Government to assist the Returning Officers in the performance of his functions as Assistant Returning Officers.

(3) Every Assistant Returning Officers shall, subject to the control of the Returning Officer, be competent to perform all or any of the function of the Returning Officer:

Provided that no Assistant Returning Officer shall perform any of the functions of the Returning Officer which relate to the issue of voting papers, counting of voting papers and declaration of results of election.

10. Fixation of date for nomination etc.-(1)The Returning Officer shall, by notifications published in the official Gazette in a local news paper or in such a other manner as be may deem it, fix-

(i) the date date for making nominations which shall be the seventh day after the date of publication of the notification, or if that day is a public holiday, the next working day;

(ii) the date for withdrawal of candidature which shall be the second day after the date for scrutiny of nominations or, if that day is a public holiday, the next working day;

(iii) the date of polling, if necessary, which shall be a date not earlier than the thirteenth day from the date for withdrawal of candidature;

(iv) the date, the time and the place for counting of votes and for declaration of results which shall be within three days from the date of pooling.

(2) The notification, issued under sub-rule (1), shall also invite nomination of candidates for election to the State Council and specify the place at which the nomination papers are to be delivered.

11. Presentation and requirements for valid nominations.-(1) On or before the date fixed under rule 10 each candidate shall send by registered post with acknowledgement due or deliver in person to the Returning Officer a nomination paper duly filled in Form III.

(2) Every nomination paper shall be subscribed by two elector-one as he proposer and to other as the seconder and assented to by he candidate:

Provided that no elector shall subscribe as reposer or seconder more nomination papers than the numbers of seats to be filled:

Provided further that, in case an elector subscribe to more number of nomination papers than the number of seats to be filled up, as a proposer or a seconders as the case may be, the nomination papers first received by the Returning Officer equal to the number of seats to be

filled up shall, if they are other wide in order, stand valid and all such other nomination papers as are subscribed by the same elector as received simultaneously shall be invalid.

(3) On receipt of each nomination paper the Returning officer shall endorse there on the date and the hour of its receipt.

12. Rejection of nomination paper.- A nomination paper which is not received on or before the date fixed by the Returning Officer in that behalf shall be rejected.

13. Scrutiny of nomination papers.-(1) On the date and the time appointed by the Returning officer for scrutiny of nomination papers. the candidates and the proposer and the seconder of each candidate or other representative duly authorized by the candidates in this behalf may attend the office of the Returning Officer who shall allow them to examine the nomination papers of all the candidates which have been received by him as afore said.

(2) The Returning Officer shall examine the nomination papers thus received and decide all questions which may arise as to the validity of any nomination, and his decision there on shall be final.

14. Withdrawal or candidature.-(1) Any candidate may withdraw his candidature by notice in writing signed by him and delivered to the Returning Officer before the date fixed under sub-rule (1) of rule 10.

(2) A candidate who has withdrawn his candidature shall not be allowed to cancel the withdrawal or to be renominated as a candidate for the same election.

15. Publication of the list of contesting candidates.-(1) Immediately after the expiry of the period with in which candidatures may be withdrawn under rule 14 the Returning Officer shall prepare and publish a list of contesting candidates, that is to say, candidates who were valid by nominate and who have not withdrawn their candidatures within the said period.

(2) The list under sub-rule (1) shall contain the names (in alphabetical order) and the addresses of the contesting candidates as given in the nomination papers.

(3) The list under sub-rule (1) shall be published in the Gazette and in the local news papers and be given wide publicity in such manner as the Returning Officer may deem fit.

16. The poll.-(1) If the number of duly nominated candidates for elections does not exceed the number of members to be elected, the Returning Officer shall forth with declare such candidates to be duly elected.

(2) If the number of such candidates exceeds the number of members to be elected the

Returning Officer shall not later than thirty days before the date appointed for the poll, send by air mail to every elector residing or practicing abroad, and by post to every other elector residing within or outside the State but within the country a voting paper in Form IV together with a numbered declaration paper in Form V a letter of intimation in Form VI containing the names of the candidates in alphabetical order addressed to the Returning Officer and another cover also addressed to the said office:

Provide that the voting paper and other connected papers may also be sent to any elector on his applying to the Returning Officer for the same before the date appointed for the poll, if the Returning Officer is satisfied that the papers have not been sent to him.

(3) A certificate of posting shall be obtained in respect of each such letter of intimation sent to him.

(4) An elector who has not received the voting and other connected papers sent to him by post or who has lost them or in whose case the papers before their return to the Returning Officer have been inadvertently spoilt, may transmit request the Returning Officer not later than fifteen days before the date appointed for the poll to send him fresh papers, and if the papers have been spoilt papers shall be returned to the Returning officer who shall cancel them to receipt.

(5) In every case in which such fresh papers have been issued, a mark shall be placed, against the number relating to the elector's name in the electoral roll to denote that fresh papers have been issued to him.

(6) No election shall be invalid by reason of non receipt by an elector of his voting papers and other connected papers.

(7) Each elector shall have the right to vote for as many candidates as there are seats to be filled by the election, and the vote shall be non-transferable.

(8) Every elector desirous of recording his vote shall, after filling up the declaration paper (Form V) and the voting paper (Form VI) according to the directions given in the letter of intimation (Form IV) enclose the voting paper cover, stick up and enclose the said cover along with the declaration paper in the outer envelope addressed to the Returning Officer, and send that outer envelope by post at the electors own cost or by hand to the Returning Officer, so as to reach him not later than the appointed time for closure of voting on the date fixed for the poll.

(9) On receipt by post, or by hand, of the envelop containing the declaration paper and the closed cover containing the voting paper e Returning

Officer shall endorse on the cup envelope the date and the hour of its receipt.

17. Opening of the cover-(1) The Returning officer shall open the cuter envelope immediately after the appointed time for closure of voting on the date fixed for the poll at the place to which the envelopes are addressed him.

(2) Any candidate may be present in person or may send a representative duly authorized by him, in writing, to be present at the time when the outer envelopes are opened,

18. Rejection of Voting paper-(1) Voting paper shall be rejected by the Returning officer if-

(a) the outer envelope contains the declaration paper outside the voting paper cover; or

(b) the declaration paper is not the one sent by the Returning Officer; or

(c) the declaration paper is not signed by the elector; or

(d) the voting paper is placed outside the voting paper cover; or

(e) more than one declaration paper or voting paper cover have been enclosed in one and the same outer envelope.

(2) In each case of rejection, the word to "rejected" shall be endorsed on the voting paper cover and the declaration paper. The reason for the rejection shall also be recorded, in brief, on the voting paper cover.

(3) After satisfying himself that the election have affixed their signatures to the declaration papers, the Returning officer shall keep all the declaration papers in safe custody pending disposal under rule 21.

19. Scrutiny and counting of Vote-(1) On the date appointed for the counting of votes the voting paper covers other than these rejected under rule 18 shall be opened and the voting papers taken cut and mixed together.

(2) The voting papers shall them be scrutinized and the valid votes counted.

(3) Any candidate may be present in person or may send a representative duly authorized by him, in writing, to watch the process of counting.

(4) A voting paper shall be invalid if-

(a) it does not bear the Returning Officer's initials or facsimile signature; or

(b) a voter signs his name on the voting paper, or writes any word on it, or makes

a mark on it by which it become recognizable as his voting paper; or

(c) No vote is recorded there on; or

(d) It is valid for uncertainty of the vote recorded; or

(e) the number of votes recorded there on exceeds the number to be elected; or

(f) the recording of the vote has been done at a place other than that provided for the purpose.

(5) The Returning Officer shall show the voting papers to the candidates or their authorized representatives at the time of scrutiny and containing of votes, if so requested.

(6) If any candidates or his representative makes an objection to the acceptance of a voting paper on the ground that it does not comply with the specified requirements, or to the rejections of voting a paper by the Returning Officer, it shall be decided at once by the Returning Officer whose decision there on shall be final.

(7) The Returning Officer shall nominate such number of scrutinisers as he deems fit in accordance with such directions as may be issued in his behalf by the Stated Government.

20. Declaration of results.-(1) When the counting of votes has been complete, the Returning Officer shall draw up a list of candidates in the order of highest votes polled by each and shall declare the results of the successful candidates in that order according to the number of seats to be filled up.

(2) If any candidates thus declared elected refuses to accept the election, then in the place of that candidate one of the remaining candidates to whom the next largest number of votes have been cast shall be deemed to have been elected and the same procedure shall be adopted for the of the, terms as of ten as a vacancy is caused in this way.

(3) When there is equality of votes among any two or more candidates, then the person or persons, as the case may be, who shall be deemed to have been elected shall be determined by lots to be drawn by the Returning Officer or any other officer authorized by him in such manner as he may determine.

(4) The Returning Officer shall, as soon as the result is declared, inform each successful candidate of his being elected to the State Veterinary Council.

21. Voting papers to be retained.-Upon the completion of the counting and after the result has been declared, the Returning Officer shall seal the voting papers and all other docu-

the same for a period of six months, and shall not destroy these records even after the expiry of the said six months without the previous concurrence of the State Government.

22. Intimation of results of election.-(1) The Returning Officer shall intimate the names of the elected candidates to the State Government for publication thereof in the Gazette under sub-section (2) of section 32 of the Act.

(2) In case of any dispute regarding the election, which may be lodged with the Returning Officer within fifteen days of the declaration of the results of the election, it shall be referred to the State Government for its decision, under section 37 of the Act, which shall the final.

CHAPTER III-Election of the President of the State Veterinary Council, (Section 36).

23. Register of members of the State Veterinary Council.-The office of the State Veterinary Council shall maintain a register in Form VII giving the names and other details of the members elected or nominated to it from time to time.

24. Procedure for election of the President of the State Veterinary Council.-(1) The President of the State Veterinary Council elected by the members there of from amongst themselves. The elector shall be held at the fist meeting of the said Council after its constitution or re-constitution, as the case may be.

(2) The Registrar shall invite the members present at that meeting to make their nominations for the office of the said President. Each nomination shall be supported by another member present at that meeting as the seconder:

Provided that no member shall nominate or second more than one member for the candidature of the President.

(3) If there be only one person so nominated he shall be declared duly elected as the President of the State Veterinary Council unopposed.

(4) If, however, there be more than one member duly nominated and seconded for the candidature of President, the Registrar shall proceed to take ballots in the following manner namely-

(a) A slip of paper shall be given to every member present who shall write on it the name of one of the contestants in whose favour the member wishes to cast his vote. He shall then fold the slip and hand it over to the Registrar.

(b) On receipt of all the slips the Registrar shall count the number of votes secured by each contestant and shall declare that member who secures the largest number of votes to be duly elected council.

ments relating to the election, and shall retain

20

(c) If there is an equality in the votes secured by two or more contestants thus making it difficult to decide as to who gets the maximum votes, the Registrar may then decide the issue by taking lot in such manner as he deems fit, and the person so identified by the draw of lot shall be declared as duly elected as the President of the State Veterinary Council.

CHAPTER IV-*Procedure for transaction of Business of the State Veterinary Council.*[Section 38(6)].

25. Time and place of business.-(1) The business meetings of the State Veterinary Council shall ordinarily be held once in every three months at such time and place as may be decided by its president;

Provided that the place chosen shall be within the State of Uttar Pradesh.

(2) The President of the State Veterinary Council may in the course of a business meeting of the said Council decide the Date for its next meeting.

(3) A special meeting of the State Veterinary Council if deemed necessary, shall be called by the President on seven days notice at any times.

(4) The first meeting of the State Veterinary Council held in any financial year shall be deemed to be the annual meeting of the State Veterinary Council for that year.

(5) The minutes of every meeting other than a special meeting, called under sub-rule (3) shall be dispatched by, the Registrar by hand or by registered post to every member of the State Veterinary Council not later than thirty days after the said meeting.

(6) The items of business on the preliminary agenda of an ordinary quarterly meeting of the State Veterinary Council shall be intimated to the members by the Registrar, in writing, well in advance of the meeting and in any case not less than thirty days prior to the date fixed for the meeting.

(7) In the case of a special meeting, however, the Registrar shall not, less than seven days before the date fixed for that meeting, issue along with the notice for the said meeting the items of business on the agenda proposed for that meeting.

(8) A member who wishes to move any motion not included on the agenda for an ordinary meeting or to move an amendment to any item of agenda so included shall give notice there in to the Registrar, in writing not less

meeting. Thereafter the Registrar shall, in consultation with the President of the State Veterinary Council, accommodate such a request on the final agenda for the meeting.

26. Business session.-Every meeting of the State Veterinary Council shall be presided over by its President when present on, in his absence, by any other member chosen by the members present from amongst themselves to preside over that meeting.

27. Quorum.-(1) The quorum necessary for transaction of business at a meeting of the State Veterinary Council be fixed (that is, not less than one-third of the stipulated strength thereof).

(2) If at the time appointed for a meeting the quorum is not complete then the meeting shall not commence until quorum is not complete and if even at the expiry of one hour from the appointed time there is no quorum the meeting shall stand adjourned to such future date and time in the same quarter as the President of the State Council may appoint.

28. Business.-(1) All questions which come up before any meeting of the State Veterinary Council shall be decided by the majority of the members present and voting.

(2) In the case of an equality of votes the presiding person shall have casting vote.

(3) A copy of the minutes of each meeting of the State Veterinary Council whether ordinary or special, shall be submitted to its President within two days of the meeting and after being attested by him sent to each member as provided under sub-rule(5) of rule 25.

CHAPTER V-*Executive and other Committee (Section 40)*

29. Executive Committee and other Committee.-(1) The State Veterinary Council may under section 40 of the Act, constitute from among its members an Executive Committee and other Committee, on the adoption of motion to this effect, for such purpose as it may consider necessary and define the purpose and functions of such committee in the said motion itself.

(2) The State Veterinary Council may also co-opt any person or persons specially qualified to advise on any matter to any Committee other than the Executive Committee, by adopting a motion to this effect.

(3) The quorum for a meeting of the Executive Committee or any other Committee as the case may be shall be specified at the time of its constitution thereof. The quorum shall not be less than the simple majority of member appointed in this regard.

(4) The Executive Committee and

than fifteen days before the date fixed for the

other Committee so constituted shall report to the

21

Registrar of the State Veterinary Council on the matters referred in the motion (s) constituting a committee within the time specified for the purpose in the motion.

(5) Save in exceptional circumstances, no extension of time shall be given to any Committee constituted by the State Veterinary Council under sub-rule (1).

(6) The Registrar shall place before the State Veterinary Council the said report of the Committee at the next meeting of that Council.

CHAPTER VI-Fees and Allowances:(Section 41).

30. Travelling and daily allowances.-(1) The president and other members of the State Veterinary Council other than the State Government officials and ex-officio members shall be paid travelling and daily allowances as "applicable to class I officers of the State Government for attending the meeting of the State Veterinary Council or a Committee as the case may be.

(2) The members of a committee other than the members of the State Veterinary Council, shall be paid such travelling and daily allowances for attending the meetings of a committee as may be admissible to the members of the State Veterinary Council.

(3) The ex-officio members nominated by the State Government shall, however, be entitled for such travelling and other allowances as may be admissible to them in accordance with the rules of their parent department or the organization, as the case may be.

31. Fee.-(1) A fee of Rs. 50 shall be paid to a member or an ex-officio member (other than President) of the State Veterinary Council or a committee.

(2) The President of the State Veterinary Council, if he is not a State Government official, each be paid an amount of Rs. 100 as fee for shall meeting of the State Veterinary Council and Rs. 50 for attending the meetings of a Committee.

(3) Where a member of the State Veterinary Council presides over a meeting thereof under Rs. 26 he shall be paid a fee of Rs. 100.

CHAPTER VII

32. Terms and conditions of service of Registrar and other officers and employees:[Section 42(2)].-The terms and conditions of service of the Registrar, and of the other officers and employees appointed by the State Veterinary Council shall subject to the Provisions of these shall be such as may be applicable to the State

Government officials like status under the service rules of the State Government.

CHAPTER VIII

33. State Veterinary Register.-The State Government/the State Veterinary Council, as the case may be, shall, as provided under section 44 of the Act, maintain the State Veterinary Register for Uttar Pradesh in Form VIII containing the names and other relevant particulars of the persons possessing the recognized veterinary qualifications and registered with the State Veterinary Council under the Act.

34. Application for first registration and registration fee(Section 45).-(1) Every person who holds a recognized Veterinary Qualification and resides in the State of Uttar Pradesh, his name is to be registered with State Veterinary Council shall apply to the Registration Tribunal constituted under section 45 for registration. The application shall be addressed to Registrar, U.P. Veterinary Council accompanied with Registration fee of Rs. 25.

(2) On the entry of a person's name in the State Veterinary register, the Registrar shall issue to him a certificate of Registration in Form X.

35. Renewal fee for Registration:(Section 48).-(1) To retain a name in the State Veterinary Register, the person will have to pay to the State Veterinary Council every five years a registration renewal fee of Rs. 15 (Rs. Fifteen only) before the 1st day of April of the year in which his registration renewal falls due.

(2) **Fee for restoration to State Veterinary Register:**(Section 50).-The fee for restoration of the name of a person removed from a State Veterinary Register shall be Rs. 15 (Rupees fifteen only).

36. Cost of the printed copy of State Veterinary Register:(Section 51).-The printed copies of the State Veterinary Register shall be made available on payment of the charges at the rate of Rs. 10 per copy.

37. Issue of Duplicate Certificate:(Section 54).-(1) A duplicate certificate of registration or renewal as the case may be shall be issued by the Registrar of the State Veterinary Council on payment of fee of Rs. 10 (Rupees ten only).

(2) The said duplicate certificate shall be in Form XII.

N.B.-Fees paid to the State Veterinary Council are not refundable.

आज्ञा से,
बाबू राम,
सचिव।

